राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ–9(283)/स्टोर/कम्प्यूटर/2024–25/29460 दिनांकः 25/03/2025

खुली बोली सूचना संख्याः– 02/2024–25

विभाग द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर/जोधपुर हेतु कार्यालय उपयोगार्थ ऑल–इन–वन कम्प्यूटर सिस्टम व प्रिंटर्स क्रय/सप्लाई हेतु अधिकृत फर्म/रजिस्टर्ड डीलर/सप्लायर्स इत्यादि से बंद लिफाफों में बोलियां (द्वि–भाग बोली) आमंत्रित की जाती हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मूल्य रू.	बोली/बिड प्रतिभूति 2 प्रतिशत	बोली/ बिड प्रपत्र का मूल्य रू.	बोली/बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	बोली/बिड जमा कराने की तिथि व समय	बोली/बिड खोलने की तिथि एवं समय
1.	**All in one PC** As per specifications (परिशिष्ट–स)	5 लाख	10000/–	500/–	दिनांक 07.04.2025 प्रातः 11:00 बजे तक	दिनांक 07.04.2025 दोपहर 2:00 बजे तक	दिनांक 07.04.2025 दोपहर 03:00 बजे
2.	**Printer** As per specifications (परिशिष्ट–स)						

बोली प्रपत्र, शर्ते तथा अन्य आवश्यक विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट **www.rlsa.rajasthan.gov.in** एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। बोली प्रपत्र के साथ बोली शुल्क राशि 500/– एवं बोली प्रतिभूति/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर** के नाम से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा या उक्त राशि कार्यालय में नगद भी जमा करवाई जा सकती है। निर्धारित समय पश्चात् कोई बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी बोली/बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

कम्प्यूटर सिस्टम व प्रिंटर क्रय के लिए बोली/बिड प्रपत्र

1. बोली/बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता..दूरभाष/मोबाइल नं. .... बैंक खाता सं. .... बैंक का नाम .... शाखा का नाम ....IFSC Code ....
2. जी.एस.टी पंजीयन सं. ....पेन नम्बर .... की प्रति संलग्न है।
3. संदर्भ– बोली/बिड सूचना सख्या..दिनांक ....
4. जिसको सम्बोधित किया गया –सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
5. **बोली/बिड शुल्कः–**

   01. बिड/बोली प्रपत्र का शुल्क 500/– जो नकद/रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या.................................दिनांक...........................बैंक का विवरण... जमा करा दी गई है/संलग्न है।

   02. बिड/बोली प्रतिभूति/अमानत राशि शुल्क 2 प्रतिशत जो रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या.. ....दिनांक...........................बैंक का विवरण.. जमा करा दी गई है/संलग्न है।

6. हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली/बिड सूचना संख्या ....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बोली/बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

7. कम्प्यूटर सिस्टम व प्रिंटर आईटम्स की सप्लाई के लिए दरें **वित्तीय बिड के लिफाफे** में संलग्न **परिशिष्ट "स"** में अंकित कर प्रस्तुत की जानी है।

8. फर्म द्वारा कार्यादेश के अनुसार आदेशित सामग्री निर्धारित स्थान व समय पर सप्लाई/संस्थापित की जानी आवश्यक है।
9. वित्तीय बिड (परिशिष्ट–स) में वर्णित राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि पृथक से इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगी।
10. किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार/अस्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक स्टोर्स के सामान को वितरित करने का पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उपापन समिति को होगा। उपापन समिति को पूर्ण अथवा आंशिक बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मैं/हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली में वर्णित समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। बोली में दी गई स्पेसिफिकेशन के ही अनुसार हमारे द्वारा दरें प्रस्तुत की गई है। इसकी सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाणस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। मूल बोली प्रपत्र/शर्तें एवं अन्य दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

उपकरण आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तें

1. बोली प्रस्तुत करना– बोलीदाता को दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली/दर (परिशिष्ट –स) लिख कर प्रस्तुत करनी होगी और लिफाफों पर तकनीकी व वित्तीय बोली/दर स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। दोनों अलग–अलग लिफाफों को एक बडे लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करने होंगे। बड़े लिफाफे पर **All in one PC / Printer** क्रय हेतु बोली लिखा जाना चाहिए।
2. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी तथा तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी, जिसकी सूचना बोलीदाताओं को दे दी जावेगी।
3. बोली स्वीकार करना–
   - बोली प्रपत्र की पूर्ति कर साथ निर्धारित अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत प्रतिभूति/अमानत राशि (एस.एस.आई इकाईयों से 0.5 प्रतिशत) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में 'सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' के नाम से जमा करवाना होगा अन्यथा बोली स्वीकार नही की जावेगी।
   - बोली प्रपत्र कार्यालय में निर्धारित दिनांक व समय तक निर्धारित शुल्क अमानत जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद जमा करवावकर बोली के प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - केवल उन्हीं बोली पर विचार किया जायेगा, जो बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से भरी होगी तथा निम्नलिखित दस्तावेज तकनीकी बिड के लिफाफे में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायेगे । इनके अभाव में बोली पर विचार नही किया जावेगा ।

क्र. स.	विवरण	पृष्ठसंख्या (........से......)
1.	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
2.	**फर्म द्वारा उपकरण (All in one PC / Printer) विक्रय/सप्लाई करने संबंधित अधिकृत व्यवसायी/डीलर/वितरक पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।**	
3.	बोलीदाता द्वारा स्वघोषणा कि वह माल का विनिर्माता/वास्तविक व्यापारकर्त्ता/अधिकृत विक्रेता है। (परिशिष्ट –"अ")	
4.	रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र में कालीसूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। (परिशिष्ट –"ब")	
5.	**बोली प्रपत्र एव शर्तो जिसके सभी पृष्ठो पर उसमें उल्लेखित शर्तो को स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर किये हुये हो ।**	
6.	नॉन कन्विक्शन (NON– CONVICTION) अधिघोषणा।	
7.	**बोली प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू. 500/– की राशि का बैंकर्स चैक /डीडी/नकद की मूल रसीद इत्यादि।**	
8.	**बोली प्रतिभूति राशि (2 प्रतिशत) का बैंकर्स चैक /डीडी/नकद की मूल रसीद इत्यादि।**	
9.	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित (A,B,C,D एनेक्सर)	
10.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र व पेन कार्डकी प्रति	
11.	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो पावर ऑफ अटार्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो।	
12.	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ–पत्र	
13.	बोली दाता केन्द्र/राज्य सरकार का उपक्रम होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।	

नोट– उक्त दस्तावेजों के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा। डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है, तो उसके लिए रालसा जिम्मेदार नहीं है।

- निर्धारित दिनांक व समय पश्चात् बोली स्वीकार नही की जावेगी।

4. **क्रय हेतु सक्षम अधिकारीः–**
क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित उपकरणों की मात्रा के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

5. सामग्री राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर/जोधपुर एवं निर्देशानुसार सप्लाई व इंस्टॉल करनी होगी। इस हेतु अन्य शुल्क देय नहीं होगा। अतः बोलीदाता उपकरणों की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए अंकित करें।
नोटः–

(1) दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि (जी.एस.टी. सहित) अंकित की जावें।

(2) आदेशित उपकरणों को निर्धारित स्थान रालसा जयपुर/जोधपुर पर पहुॅचाने/संस्थापित करवाने का समस्त खर्चा व उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

6. **बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधताः–**
बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 30 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार रालसा की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा।

7. **बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैकर्स चैक प्रस्तुत करना होगाः–**
बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है। बोली राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा।
नोटः–विभाग मे किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बयाना राशि हेतु समायोजित नही किया जावेगा।

8. **बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देनाः–**
बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो नोमिनेट करेगा और न ही सप्लाई करवाएगा।

9. **क्रय की मात्राः–**
क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि के दौरान क्रय आदेश दिया जा सकता है।

10. **गुणवत्ता की सुनिश्चितता :–**
क. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों की घोषणा करने हेतु बाध्य होगा।
ख. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये उपकरणों के स्पेयर पार्टस, उनके घोषित जीवनकाल की अवधि में आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाएगा।
ग. आवश्यकता की स्थिति में आपूर्तिकर्ता विभाग के साथ उपकरणों का AMC अनुबंध हस्ताक्षर करेगा।
घ. आपूर्ति किये जाने वाले सभी उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण यथा ISI/ISO प्रमाणित तथा नवीनतम तकनीक पर आधारित होने चाहिए।
ड. गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।

11. **सामान सप्लाई की अवधिः–**
बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 10 दिन/निर्देशानुसार अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, जॉब के कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।
(क) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर 2.5 प्रतिशत
(ख) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर 5 प्रतिशत

(ग) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर 7.5 प्रतिशत

(घ) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर 10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 20 दिन के पश्चात माल स्वीकार नही किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणो से हुई है, तो सुपुदर्गी अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोटः— निर्धारित अवधि 20 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर अवगत करावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

12.आदेशित आपूर्ति के अभाव मे बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :—

1. यदि बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति निर्धारित अवधि मे या शर्त संख्या 13 के अध्यधीन बढी हुई अवधि मे आपूर्ति करने मे असफल रहता है तथा सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि अपूर्ण आपूर्ति हुई है या बोलीदाता समस्त उपकरण आपूर्ति मे असफल रहा है तो राज्य प्राधिकरण सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षतिपूर्ति) अदा करने के आदेश निविदाकर्ता को दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप रालसा/केता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई उपकरण को बोलीदाता की जोखिम लागत पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगे, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नही होगा।
3. निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड/आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

9

13. प्राईस फॉल क्लोजः—

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा किया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान राज्य में किसी अन्य को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय—वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। जिसके लिये पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय

परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा रालसा से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नही कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. **बिड प्रतिभूति राशि का समपहरण :** बिड प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपह्रत कर लिया जाएगा

1. जब बिडदाता बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमें उपान्तरण (Modification) करता हैं ।
2. जब बिडदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
3. जब बिडदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
4. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार स्टेशनरी की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

15. **बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण :** बिड कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपह्रत किया जाएगाः–

1. जब बिड की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों।
2. जब बिडदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो।
3. बिड प्रतिभूति राशि को समपह्रत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

   करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

9

16. करार एवं बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance security deposit):-

1. सफल बोलीदाता/बिडदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा, जो 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो तथा जिस के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी ।
2. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
3. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सदस्य सचिव, राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष मे राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी, शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद/EGRAS चालान किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है।

a. निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग विभाग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के 1% (एस.एस.आई यूनिट) की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी। अन्य के लिए यह कार्यादेश की 5% होगी।

b. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे।

17. बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के पश्चात लौटाई जा सकेगी।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नही हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 01 वर्ष बाद अथवा सामग्री की गारंटी/वारंटी पूर्ण होने पर लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्ध

कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।

3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरूद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

18-**अस्वीकृत वस्तुऍः**– बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुऍ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओ के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओ से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नही होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नही उठाने पर अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियां हो, कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

19. **राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना** :– बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

20. **सुरक्षित अधिकारः**– सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष, क्रय्र समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके, ऊँची दरे स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

21. **कानूनी विवाद क्षेत्रः**– समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

22. **क्रय अधिमान** :– इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

23. बोली प्रपत्र विभागीय वेबसाईट व **www.sppp.rajasthan.gov.in** के माध्यम से दिनांक 26.03.2025 प्रातः 10:00 बजे से प्राप्त की जा सकेगी।

24. **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः**–

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रो में दिये गये विवरण आदि मे सदस्य सचिव द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।

2. सदस्य सचिव को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

25. **निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः**– बोली शर्तो के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नही होगी।

26. **निरीक्षण अधिकारीः**– तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य किया जा सकेगा।

27. **बोली शर्तो मे शिथिलता करने का अधिकारः**– बोली शर्तो मे शिथिलता करने हेतु केवल सदस्य सचिव/अध्यक्ष क्रय समिति में शक्तियां निहित है।

28. तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम मे संलग्न क्रम मे बोली मे अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

29. बोली से सम्बन्धित नियम शर्ते एवं सूचना बोली का भाग है।

30. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है।

31. उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।

32. यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

33. बोली की शर्तो में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर सदस्य सचिव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. **अपील** :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय–III एवं नियम–2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार हैः–

क्र. सं	अपील अधिकारी
1	निदेशक

9

(1) बिन्दु (9) के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिनकी अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :–

- परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है, वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी, पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया गया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

(9) कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :– उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :–

(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।

(ख) बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।

(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।

(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।

(ड़) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

(10) अपील का प्रारूप –

(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(11) अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो वापसी योग्य नहीं होगी।

(2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैकके रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) अपील के निपटारे की प्रक्रिया–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी:–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

35. निर्मित उपकरणों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

36. उपकरणों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक 1 में वर्णित है व मात्रा अनुमानित है इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

37. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

38. वित्तीय बोलीयों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

39. भुगतान प्रावधान :-

1. **क्रयादेश के अनुसार अनुमोदित सामग्री निर्धारित स्थान व समय पर करने के पश्चात् बोलीदाता द्वारा सामग्री सप्लाई/संस्थापित करने संबंधित प्रमाणित संतोषजनक रिपोर्ट बिल के साथ संलग्न करने पर/प्राप्त होने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।**
2. बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. आपूर्तिकर्ता को आदेशित उपकरण निर्धारित एवं अंकित विशिष्टियों के अनुसार ही आपूर्ति करना अपेक्षित है। निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सप्लायर को अस्वीकृत माल को नये स्टॉक से बदलना होगा।
4. आपूर्ति किए गए माल की जांच उपरान्त एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
5. आपूर्ति किये गये माल के सप्लाई व संस्थापित करने के दौरान माल के टूट-फूट/तकनीकी समस्या व अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर अथवा समस्या का निवारण न होने पर नया माल सप्लाई/संस्थापित करने पर समस्त नुकसान फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

निदेशक,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing and harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge / consultant for the contract.

9

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/ our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice

Inviting Bids No................................ Dated.........................I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have
4. my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and no`t the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
5. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
6. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act. Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place:

Name:

21

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specified ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filling appeal

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.
b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
d) The order passed under sub- clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors - Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1. if there is a discrepancy between the unit price and the total price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quaintly, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected ;
2. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
3. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (1) and (2) above. if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

1. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
2. if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
3. In case of procurement of good of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditional of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Good of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so. The Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

9

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM NO. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……… of …………

Before the ……………………………………..(First/ Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant:

(i)Name of the appellant

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Applicant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Place ………………………………

Date ………………………………..

Appellant's signature

परिशिष्ट –'अ'

बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा

मैं / हम, घोषणा करता हूँ / करते है कि, मैंने / हमने जिन सेवाओं / वस्तुओं / स्टोर्स / उपकरणों के लिए बिड दी है, उनका / उनके, मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ / अधिकृत विक्रेता / वितरक / सेवा प्रदात्ता है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

9

परिशिष्ट –'ब'

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

(रुपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नोटरी से प्रमाणित)

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी संस्था............................ ....को आज दिनांक........................ तक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवही की जा सकेगी।

स्थान– बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

दिनांक–

9

वित्तीय बोली

परिशिष्ट –'स'

क्र. स.	सामग्री का नाम	Specificaton	मात्रा	Brand/ Model Name	@ Rs. Price (including all taxes Delivery installation)
1.	All in One P.C.	1. Porcessor- AIO I-7 with 13th Gen ULTRA-155U 2. RAM- 32 GB DDR5 3. Storage- 1 TB SSD 4. Display- INTEGRATED GRAPHICS27" QHD Multi Touch Screen 5. Keyboard & Mouse- Wireless 6. Webcam- 5M IR Camera 7. Software: Win 11 home + Office H&S Edition 2024 8. Warranty- 3 years onsite 9. WLAN+ BT 10. Other Ports- Graphics UMA, USB type C,USB type A, RJ45, HDM In, HDM Out, Min IN, Speaker Out, VGA etc. 11. Colour- Shell White	03		
2.	Colour Printer	1. Functions- Print, Scan, Copy 2. Print Speed- Minimum 33 PPM 3. Paper- A4, Letter & Legal 4. Duplex Printing 5. Wi-Fi Printing 6. LCD screen 7. Colour inktank 8. Warranty- As per Brand	02		
3.	Multi-function Laserjet Printer (B/W)	1. Functions- Print, Scan, Copy 2. Print Speed- 30/29 ppm 3. RAM- 64 GB 4. Paper- A4, Letter & Legal 5. Duplex Printing 6. Wi-Fi Printing 7. ADF- Yes 8. Warranty- As per Brand	01		
		Total	**06**		

नोट :

1. उक्त सामग्री क्रय/सप्लाई हेतु विभाग द्वारा एक ही फर्म अथवा अलग–अलग फर्मों को कार्यादेश जारी किया जा सकता है।
2. उक्त सामग्री की संख्या कम/ज्यादा करने का अधिकार विभाग को होगा।
3. उक्त सामग्री विभाग द्वारा निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर में सप्लाई व संस्थापित करनी होगी तथा इस संबंध में संबंधित कार्यालय से प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

दिनांक–

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर